UPFZ010069542025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीनः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908) ... एच०जे०एस०

दाण्डिक निगरानी सं०–379/2025

[CIS Registration No.: 421/2025]

किरन पाण्डेय पुत्री श्री विजय कुमार पाण्डेय निवासिनी ग्राम अंकारीपुर थाना गोशाईगंज जनपद अयोध्या।

.......निगरानीकर्ती।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार।
2. डा० सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र सन्तलाल वर्मा वर्तमान निवासी ग्राम देवकाली बाबा का पुरवा रानोपाली थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या। स्थायी निवासी ग्राम किशुनदास पुर थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या।
3. सूरज सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या।

...........विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ती किरन पाण्डेय की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा अंतिम रिपोर्ट वाद सं०–141/2023 किरन पाण्डेय बनाम डा० सुरेन्द्र वर्मा व अन्य, अंतर्गत मुकदमा अपराध सं०–296/2023, धारा 376 डी, 506 भा०द०सं०, थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या में पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 22.08.2025 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ती/वादिनी की ओर से उपरोक्त अंतिम आख्या के विरूद्ध दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को निरस्त करते हुए पुलिस द्वारा मामले में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है।

2. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि निगरानीकर्ती/वादिनी मुकदमा किरन पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली अयोध्या जिला अयोध्या में एक अभियोग अंतर्गत मुकदमा अपराध सं०–296/2023, धारा 376 डी व 506 भा०द०सं० विपक्षीगण/अभियुक्तगण डा० सुरेन्द्र कुमार, अयोध्या प्रसाद वर्मा व सूरज सिंह के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमें वादिनी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि विपक्षी डा० सुरेन्द्र कुमार वादिनी से शादी करने का झांसा देकर विगत एक वर्ष से उसके साथ सम्बन्ध बनाते आ रहे हैं और वादिनी से कोर्ट मैरेज के बहाने उसका आधार कार्ड व फोटो रख लिया है। विपक्षी कभी कमरे पर जाकर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाता था और कभी कभी इधर उधर होटालों में उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा है, जिसकी वीडियो भी बनी हुयी है। दिनाँक 28.02.2023 को वादिनी को फैजाबाद शहर बुलाकर गाड़ी में बैठाकर होटल ले गया और वहाँ स्वयं तथा अपने साक्षी अयोध्या प्रसाद वर्मा व सूरज सिंह द्वारा मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार किया गया तथा उसके कनपटी पर रायफल

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.17 16:07:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लगाकर डा० सुरेन्द कुमार व अयोध्या प्रसाद वर्मा द्वारा धमकी दिया गया कि अगर वह घटना के बारे में किसी से बताएगी, तो जान से मारकर लाश कहीं फेंक देंगे। यह भी कहा कि अब उससे कोई शादी नहीं करनी है। वादिनी द्वारा लगाए गए उक्त आरापों के क्रम में पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचना की गयी और विवेचनोपरान्त मामले में घटना की पुष्टि होना न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट अवर न्यायालय में प्रेषित की गयी तथा साथ ही वादिनी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के आशय से धारा 182 द०प्र०सं० की रिपोर्ट भी प्रेषित की गयी। उपरोक्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध वादिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दिनाँकित 30.09.2023 प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुक्रम में अवर न्यायालय ने आदेश दिनाँकित 27.03.2024 पारित करते हुए प्रश्नगत अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया और आदेश में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अग्रिम विवेचना किए जाने हेतु आदेशित किया। अवर न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनाँकित 27.03.2024 के अनुपालन में सम्बन्धित पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम विवेचना की गयी और विवेचनोपरान्त पुनः मामले में घटना की पुष्टि न हेना पाते हुए अंतिम रिपोर्ट सं०–42/2024 अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया। वादिनी मुकदमा की ओर से अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध पुनः प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया, जिसमें उसके द्वारा कथित घटना के तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह कथन किया गया कि विवेचक द्वारा विपक्षीगण के प्रभाव में आकर पुनर्विवेचना की गयी है और सही तथ्यों को छिपाकर गलत अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया है। वादिनी के भैया व भाभी से शपथपत्र पर लिया गया बयान दबाव में व डरा धमकाकर लिया गया है। वादिनी के मेडिकल रिपोर्ट से घटना साबित होती है। इसके अलावा वादिनी के डी०एन०ए० सैम्पल परीक्षण हेतु नहीं भेजे गए, जो विवेचक की लापरवाही व उसकी विपक्षीगण से सांठगांठ को प्रदर्शित करता है।विवेचक द्वारा दबाव बनाने हेतु उसके विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०–344/2023 अंतर्गत धारा 386, 504, 506 भा०द०सं० दर्ज करा दिया गया है। पुनर्विवेचना के दौरान वादिनी का कोई बयान नहीं लिया गया है। वादिनी के पास घटना से सम्बन्धित पेनड्राइव में साक्ष्य है, जिसे विवेचक द्वारा साक्ष्य का भाग नहीं बनाया गया है। उक्त आधार पर वादिनी द्वारा अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर मामले में विधिक कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी। विद्वान अवर न्यायालय ने वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर आलोच्य आदेश दिनाँक 22.08.2025 पारित करते हुए वादिनी मुकदमा के प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया तथा पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट सं०–42/2024 को स्वीकार किया। उक्त आदेश दिनाँकित 22.08.2025 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ती/वादिनी की ओर से यह दाण्डिक निगरानी इस निगरानी न्यायालय में योजित की गयी है।

3. निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मेमो में उल्लिखित आधारों पर बल देते हुए तर्क किया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों और उसके तथ्यों पर ध्यान न देकर सरसरी तौर पर प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है और इसप्रकार भूल कारित किया है। मामले में विवेचक द्वारा अवर न्यायालय में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट अभियुक्तगण के प्रभाव में तैयार किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने इस प्रतिपादित सिद्धांत पर भी ध्यान नहीं दिया है

कि कोई महिला अपने चरित्र व आचरण के विरूद्ध झूठे कथन नहीं करेगी। निगरानीकर्ती/वादिनी ने प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र में मात्र उतना ही कथन किया है, जितना अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया गया है, किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने स्वविवेक से प्रार्थनापत्र के कथनों को झूठा मानते हुए सरसरी तौर पर प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। निगरानीकर्ती स्वयं पीड़िता है और अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना की वह स्वयं साक्षी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध सामाजिक अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ती/वादिनी के कथनों को सरसरी तौर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है।विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत है तथा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रतिकूल है। विद्वान अवर न्यायलय ने आलोच्य आदेश पारित करने में अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप किए जाने का पर्याप्त आधार है। उपरोक्त आधारों पर विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने की याचना की है।

4. इसके विपरीत विपक्षी सं०–1 उ०प्र० सरकार की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता एवं विपक्षी सं० 2 व 3 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी का विरोध किया एवं तर्क किया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत है। आलोच्य आदेश विधिक प्राविधानों के अंतर्गत पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में पारित किया गया है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी सं० 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आपत्तिपत्र 9ब पर बल देते हुए तर्क किया कि निगरानीकर्ती/वादिनी द्वारा बिना किसी ठोस सबूत के महज विपक्षीगण को हैरान एवं परेशान करने नीयत से यह निगरानी प्रस्तुत किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग में निहित क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत पारित किया गया है। निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश व अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर पर मात्र यह विचारित करना अपेक्षित है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमतिता, अशुद्धता अथवा विधि की कोई त्रुटि कारित की गयी है अथवा नहीं। निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित होता है और इसे नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

7. प्रस्तुत मामले में आलोच्य आदेश दिनाँक 22.08.2025 के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ती/वादिनी का प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र निरस्त करते हुए पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि विवेचक द्वारा समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विवेचना में अभियुक्तगण का कोई जुर्म साबित न हो पाने तथा वादिनी/पीड़िता द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराए जाने के आधार पर मामले में विधिसम्मत रूप से अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया गया है। अवर न्यायालय ने

विवेचना में विवेचक द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया और तदनुसार वादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को स्वीकार किए जाने का पर्याप्त व संतोषजनक आधार न पाते हुए प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया और अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

8. जहाँ तक मामले में सन्निहित बिन्दु के सन्दर्भ में विधि का प्रश्न है, तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधि निर्णय **"Pakhando Vs. State of U.P., 2001 (43) ACC 1096"** में यह अवधारित किया है कि यदि जाँच/विवेचना के उपरान्त पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आरोपी को विचारण के लिए भेजने का कोई पर्याप्त साक्ष्य या सन्देह का उचित आधार नहीं है और उक्त आधार पर कार्यवाही समाप्त करने के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष निम्नलिखित चार विकल्प होंगे और उनमें से वह किसी एक को अपना सकता है:–

(i) वह पुलिस के निष्कर्ष से सहमत होते हुए रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही समाप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पूर्व उसे शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देना होगा; या

(ii) वह धारा 190 (1)(b) के तहत संज्ञान ले सकता है और जाँच एजेन्सी के निष्कर्ष से बाध्य हुए बिना सीधे आरोपी के विरूद्ध समन जारी कर सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि पुलिस द्वारा खोजे गए या सामने लाए गए तथ्यों के आधार पर मामले में आगे बढ़ने का पर्याप्त आधार मौजूद है; या

(iii) वह आगे की जाँच/विवेचना का आदेश दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि जाँच लापरवाहीपूर्ण या सतही तरीके से की गयी थी; या

(iv) वह समन जारी किए बिना या कार्यवाही समाप्त किए बिना, मूल शिकायत या विरोध याचिका (प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र) को ही शिकायत मानते हुए धारा 190 (1) (b) के तहत संज्ञान लेने का निर्णय ले सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 व 202 के तहत कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है और उसके बाद यह निर्णय ले सकता है कि शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए या समन जारी किया जाना चाहिए।

9. इसीप्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"Vishnu Kumar Tiwari Vs. State of U.P., (2019) 8 SCC 27"** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि जब कोई ऐसी रिपोर्ट, जिसमें पुलिस के अनुसार कोई अपराध होता हुआ नहीं प्रतीत होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो उनके पास निम्नलिखित किसी एक विकल्प को अपनाने का विकल्प होता है :–

(i) वह रिपोर्ट को स्वीकार कर सकते हैं और कार्यवाही समाप्त कर सकते हैं; या

(ii) वह रिपोर्ट से असहमत हो सकते हैं और यह राय बना सकते हैं कि आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, संज्ञान ले सकते हैं और समन जारी कर सकते हैं; या

(iii) वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस को आगे की जाँच करने का निर्देश दे सकते हैं।

10. इसप्रकार उपरोक्त सुस्थापित विधि से यह स्पष्ट है कि किसी मामले में विवेचनोपरान्त जब अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को केवल यह विचार करना होता है कि क्या केस डायरी में मौजूद सामग्री के आधार पर कोई ऐसा मामला नहीं बनता है, जिसके लिए अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए, या क्या केस डायरी प्रथमदृष्टया ऐसा मामला दर्शाती है, जिसके आधार पर संज्ञान लिया जाए। ऐसी स्थिति में प्रोटेस्ट याचिका का उद्देश्य केवल मजिस्ट्रेट का ध्यान केस डायरी में मौजूद सामग्री की ओर आकर्षित करना होता है और उनसे अपने विवेक का

प्रयोग कर मामले की जाँच सावधानीपूर्वक करने का आग्रह करना होता है। इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि किसी मामले में कोई प्रोटेस्ट याचिका दायर किया गया है, इसलिए मजिस्ट्रेट सीधे तौर पर संज्ञान लेने और अभियुक्त को समन जारी करने के लिए बाध्य है अथवा मामला प्रोटेस्ट याचिका के आधार पर परिवाद के रूप में चलाया जाएगा।

11. उपर्युक्त विधिक दृष्टान्तों एवं प्राविधानों के आलोक में वर्तमान मामले का पर्यवेक्षण करने पर दर्शित होता है कि मामले में पूर्व में भी विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ती/वादिनी की ओर से प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र का सन्दर्भ ग्रहण करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँकित 27.03.2024 पारित करते हुए अंतिम आख्या को निरस्त कर दिया गया था और प्रकरण अग्रिम विवेचना हेतु सम्बन्धित पुलिस को संदर्भित की गयी थी। अवर न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में विवेचक द्वारा मामले में अग्रिम विवेचना की गयी और पुनः मामले में कारित घटना की पुष्टि होना न पाते हुए अंतिम आख्या विद्वान अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया। निगरानीकर्ती/वादिनी ने प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र में अंतिम रिपोर्ट के सन्दर्भ में मुख्य रूप से यह आपत्ति की विवेचक द्वारा मामले की पुनर्विवेचना विपक्षीगण के प्रभाव में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर करते हुए गलत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।विवेचक द्वारा वादिनी के भैया व भाभी से शपथपत्र दबाव में डरा–धमकाकर लिया गया तथा वादिनी मुकदमा का डी०एन०ए० सैम्पल परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया। वादिनी ने यह भी आपत्ति की है कि विवेचक ने पुनर्विवेचना के दौरान उसका कोई बयान नहीं लिया और घटना से सम्बन्धित साक्ष्य पेन ड्राइव में उसके पास है, जिसे विवेचक ने विवेचना का भाग नहीं बनाया है। निगरानीकर्ता/वादिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र में लगाए गए उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध केसडायरी एवं आलोच्य आदेश में उसके सन्दर्भ में दिए गए निष्कर्ष का परिशीलन किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना निगरानीकर्ती/वादिनी एवं अभियुक्त सुरेन्द्र वर्मा के मोबाइल फोन का सी०डी०आर० संकलित किया गया है और घटनास्थल के बावत होटल इत्यादि स्थानों के विवरण एकत्रित किए गए हैं, जिनके आधार पर विवेचक द्वारा पाया गया कि घटना की तथा–कथित तिथियों पर अभियुक्त की उपस्थिति उक्त घटनास्थलों पर नहीं पायी गयी। केस डायरी पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार निगरानीकर्ती/पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक का बयान विवेचक द्वारा संकलित किया गया है। उक्त बयान के अनुसार पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के तथ्य के सम्बन्ध में स्पष्ट राय चिकित्सक साक्षी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है। इसके अलावा केस डायरी पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की समाविष्ट आख्या के अनुसार पीड़िता के स्कैल्प हेयर, वेजाइनल स्मीयर स्लाइड व प्यूबिक हेयर के नमूने के परीक्षण में किसी प्रकार का रक्त, शुक्राणू अथवा वीर्य का होना भी नहीं पाया गया। इसके अलावा केस डायरी पर निगरानीकर्ती/वादिनी के कथित भैया एवं भाभी का शपथपत्र एवं उसके आलोक में उनका बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० उपलब्ध है,जिसमें उनके द्वारा निगरानीकर्ती/वादिनी के विरूद्ध ही कथन किया गया है। केसडायरी के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रथमदृष्टया दर्शित है कि विवेचक

ने निगरानीकर्ती/वादिनी द्वारा प्रस्तुत वीडियो क्लीप का सन्दर्भ विवेचना के दौरान लिया है और उसके बावत विवेचना करते हुए उसके तथ्यों को केस डायरी में उल्लिखित किया है। इसप्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मामले में विवेचक द्वारा घटना से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों का विवेचन कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। मामले में पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त घटना की पुष्टि न होने के कारण कुल दो बार अंतिम आख्या प्रस्तुत किया जा चुका है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रोटेस्ट याचिका में उल्लिखित आपत्तियों के सन्दर्भ में केस डायरी पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारोपरान्त विवेचना में किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया और तदनुसार आलोच्य आदेश पारित करते हुए पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व निगरानीकर्ती/वादिनी की ओर से प्रस्तुत सम्बन्धित इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का भी परिशीलन किया है और उसके पर्यवेक्षण के उपरान्त अपना निष्कर्ष आलोच्य आदेश में अवधारित किया है। इसप्रकार आलोच्य आदेश से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने विधि में स्थापित प्राविधानों के तहत उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया है। विधिक प्राविधानों के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का उचित प्रयोग न किया हो या आलोच्य आदेश पारित करने में कोई अनियमतिता, अशुद्धता अथवा अवैधानिकता कारित की गयी हो। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निहित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सन्तुष्टि के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें इस निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का कोई उपयुक्त आधार नहीं है। निगरानी में जो आधार लिए गए हैं, वे पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं और इस कारण निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी सं०-379/2025 निरस्त किया जाता है।

अवर न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ वापस प्रेषित की जाए।

दिनाँकः 17.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।

निर्णयादेश आज इस न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 17.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।